12

विद्यालयों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के लिए बाल संसद एक मार्गदर्शिका

राजनलाल*

विद्यालयों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के लिए बाल संसद गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके दिशानिर्देश विद्यालय द्वारा वर्ष के आरंभ में ही बना लिए जाते हैं। इस लेख में बाल संसद-मार्गदर्शिका महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाती है। यह मार्गदर्शिका विद्यार्थियों को विभिन्न क्रियाओं और समर्पण के माध्यम से सक्रियता की ओर प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें नेतृत्व कौशल विकसित होते हैं। विद्यार्थियों को सामूहिक सहभागिता के माध्यम से सीखने और समझने का अवसर मिलता है, जिससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होता है। मार्गदर्शिका विद्यार्थियों के लिए समस्याओं का सामना करने में सहायक होती है और उन्हें स्वयं से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह उन्हें स्वतंत्रता का महत्व सिखाती है और उन्हें आधिकारिक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार करती है। इससे समृद्ध और सशक्त समाज की दिशा में प्रवृत्ति होती हैं जो विद्यालयों को संबल भी देता है। विद्यालयों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मार्गदर्शिका उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने में सहायक हो सकती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी के लिए उपाय शामिल होते हैं, जैसे कि खेलकूद, कला, साहित्य और विज्ञान। मार्गदर्शिका बच्चों को स्वयं से जुड़ने के लिए साहस प्रदान कर सकते है, जिससे उनमें नेतृत्व कौशल विकसित होते हैं। इसमें उन्हें समृद्धि और समर्पण की भावना बनाए रखने के लिए भी निर्देश होते हैं। विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक और नवाचारी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना सिखाने के लिए इसमें कई क्रियाएँ शामिल होती हैं। इस प्रकार की मार्गदर्शिका विद्यालय में संगठित और सक्रिय सामूहिक जीवन को बढ़ावा देती हैं और बच्चों को उनके स्थानीय और सामाजिक समुदाय में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है।

**सहायक अध्यापक,* प्राथमिक विद्यालय बंसठी प्रथम, विकास खंड चौबेपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश 209 203

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनिसेफ द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना का प्रयास है कि सभी बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा मिले तथा उनमें जीवन-कौशल एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो। विद्यालयों को मात्र संसाधनयुक्त बनाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, अपितु इसके लिए विद्यालयों में हमें बाल अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना होगा। बाल अनुकूल स्थिति निर्माण करने के पूर्व विद्यालय प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को चिह्नित करना होगा एवं उन मुद्दों से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

बाल संसद प्रजातांत्रिक मूल्यों को विद्यालय में स्थापित करने का एक प्रयास है। आज के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विद्यालय विकास में बाल संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मुद्दे, शिक्षण को सीधे प्रभावित करते हैं, जो विद्यालय की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन के लिए आवश्यक है।

- विद्यालय को आकर्षक बनाए रखने के लिए भवन का रख-रखाव;
- बच्चों की नियमित उपस्थिति;
- प्रातः सभा का प्रभावी होना;
- बाल केंद्रित एवं सहभागिता आधारित कक्षा प्रबंधन;
- दिनचर्या (पाठ टीका) के अनुसार विद्यालय में पठन-पाठन;
- मध्याह्न भोजन समय-सारिणी का समुचित ढंग से संचालन, वितरण एवं प्रबंधन करना;
- शुद्ध पेयजल एवं इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- शौचालय का उपयोग एवं इसकी साफ-सफाई;
- बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर एवं कक्षा की स्वच्छता सुनिश्चित करना;
- विद्यालय पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए बागवानी एवं घेराबंदी;
- पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का नियमित उपयोग एवं प्रबंधन करना;
- शिक्षण सामग्रियों का रख-रखाव एवं नियमित उपयोग करना;
- सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पाठ्य-सहभागी गतिविधियों का नियमित आयोजन करना;
- गुणवत्तायुक्त गतिविधि आधारित शिक्षण प्रबंध सुनिश्चित करना;
- विद्यालय की सामग्रियों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उचित रख-रखाव करना;
- बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना;
- विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, बाल संसद का मुख्य उद्देश्य है।

अनुभव बताता है कि समस्याओं के समाधान में बच्चों की अहम भूमिका हो सकती है। इसके लिए हमें उन समस्याओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा।

बाल संसद क्या है?

बाल संसद एक अवसर है। ऐसा अवसर जहाँ बच्चे प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सीखते हैं। जहाँ बच्चे नेतृत्व करना सीखते हैं। जहाँ बच्चे विद्यालय प्रबधंन एवं संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। बच्चे विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी जवाबदेही स्वयं तय करते हैं, उनके सफल संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक ऐसे विद्यालय के सपने को साकार करते हैं, जहाँ सब कुछ उनका अपना होता है और यह भाव उत्पन्न होता है कि ये हमारा विद्यालय है।

बाल संसद का इतिहास

बाल संसद एक ऐतिहासिक पहल है, जो बच्चों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करने का उद्देश्य रखती है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की सभा में इस पर चर्चा हुई थी। बाल संसद में बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का अवसर मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की भाषा में उनकी राय को सुनना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन करना है। यह अभियान विश्व-भर में बच्चों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रहा है और उन्हें सामाजिक समानता की ओर प्रवृत्त कर रहा है।

विद्यालय में बाल संसद की आवश्यकता

जीवन मूल्यों का विकास, नेतृत्व क्षमता, सही-गलत स्पर्श की समझ, समय प्रबंध इत्यादि पर स्पष्ट समझ विकसित करने में बाल संसद की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा—

- विद्यालय विकास हेतु नई-नई योजनाएँ बनाने;
- विद्यालय के शिक्षण कार्य के बेहतर संचालन;
- विद्यालय के सह-संज्ञानात्मक गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन करने;
- विद्यालय के बच्चों को प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने एवं वर्ग-कक्ष में सीखने का माहौल विकसित करने;
- बच्चों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने;
- विद्यालय को समुदाय से जोड़ने;
- समस्याओं के समाधान करने;
- विद्यालय को आकर्षक बनाने;
- शिक्षक सामग्रियों का रख-रखाव एवं उपयोग नियमित करने;
- विद्यालय की समय-सारणी के अनुसार विद्यालय में पठन-पाठन सुनिश्चित करना;
- पुस्तकालय का उपयोग एवं प्रबंधन करना;
- सांस्कृतिक कार्यक्रम का नियमित आयोजन करना;
- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- मध्याह्न भोजन के उचित वितरण करना;
- शौचालय की सफाई एवं उपयोग सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

शिक्षक की भूमिका— बाल संसद के संयोजक के रूप में सहयोग करना।

बाल संसद मार्गदर्शिका— (उदाहरणार्थ)

संरचना

प्राथमिक एवं मिडिल बाल संसद के गठन हेतु नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर सांसदों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

क्रमांक	निर्धारित मापदंड	सांसदों की संख्या
1.	40 से कम	20
2.	40–100	25
3.	101–300	35
4.	301–500	60
5.	500 से अधिक	80

आवश्यक बिंदु

- प्रत्येक कक्षा के लिए सांसदों की संख्या उपरोक्त तालिका के अनुरूप होगी।
- कुल सांसदों में से आधे सांसद बालिकाएँ होंगी।
- चयनित सांसदों में से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाएगा।
- कक्षा 1 और 2 को छोड़कर सभी कक्षाओं के सांसद चुने जाएँगे।
- कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी-विद्यार्थी सांसद चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे अर्थात प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3–5 तक एवं प्रारंभिक में 3–8 तक के विद्यार्थी-विद्यार्थी भाग लेंगे।

मंत्रिमंडल का गठन

- बाल संसद के अतंर्गत 11 मंत्री एवं 11 उपमंत्री का चयन सांसदों द्वारा किया जाएगा।
- प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री का चयन कक्षा 4 और 5 से तथा उपमंत्री का चयन कक्षा 3 से किया जाएगा।
- मिडिल विद्यालयों में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री का चयन कक्षा 5, 6, 7 और 8 से तथा उपमंत्री का चयन कक्षा 3, 4, 5 से किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री के चयन में बालिका को प्राथमिकता दी जाएगी।

मंत्रिमंडल

मंत्री पद— 11

1.	प्रधानमंत्री	1
2.	स्वास्थ्य मंत्री	1
3.	स्वच्छता मंत्री	1
4.	सुरक्षा एवं न्याय मंत्री	1
5.	पोषण मंत्री	1
6.	उपस्थिति मंत्री	1
7.	शिक्षा मंत्री	1
8.	कौशल विकास मंत्री	1
9.	पर्यावरण मंत्री	1
10.	खेलकूद एवं संस्कृति मंत्री	1
11.	संचार एवं संपर्क मंत्री	1

उपमंत्री पद

वैसे विद्यालय जहाँ बच्चों का नामांकन 200 से अधिक हो वहाँ प्रत्येक मंत्री पद के लिए एक उपमंत्री का पद सृजित किया गया है।

- मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सांसदों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा।
- सांसदों के चयन के पश्चात अध्यक्ष द्वारा सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा (प्रारूप संलग्न परिशिष्ट 1)

बाल सभा

- सांसदों के बीच से अध्यक्ष एवं मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री, मंत्री एवं उपमंत्रियों का चयन किया जाएगा।
- सांसदों की बैठक चयनित अध्यक्ष की अध्यक्षता में वर्ष में दो बार मई एवं अक्तूबर माह में की जाएगी। यह बाल संसद सत्र के रूप में जाना जाएगा।
- वैसे बाल सांसद जो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री एवं उपमंत्री के रूप में चयनित नहीं हुए हैं, वे विपक्ष की भूमिका में रहेंगे।
- मंत्रिमंडल अपने-अपने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देंगे।
- सांसद मंत्रियों से प्रश्न करेंगे, कार्यों की जानकारी लेंगे एवं सुझाव देंगे।
- बैठक की कार्यवाही प्रधानमंत्री पंजिका में दर्ज करेंगे।

मंत्रिमंडल

- मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रति माह की जाएगी।
- सर्वप्रथम प्रधानमंत्री विद्यालय व्यवस्था संबंधी संबोधन करेंगे।
- मंत्रीगण अपने-अपने विभाग की उपलब्धियाँ बताएँगे।
- सांसद (विपक्ष) विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित प्रश्न रखेंगे (प्रश्न लिखित होगें)।
- बैठक में पूर्व में पारित प्रस्तावों की समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे।
- बैठक में तय नई कार्यावली पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएँगे।
- प्रश्न काल में बाल शिकायत पेटी को प्रधानमंत्री द्वारा खोलकर उसमें प्राप्त शिकायत/प्रश्नों को पढ़ा जाएगा एवं इसके निवारण हेतु संबंधित विभाग या आवश्यकतानुसार प्रधान शिक्षक को सौंपा जाएगा।

उपस्थिति मंत्रालय

विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति अति आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः जो बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं, उन बच्चों का शैक्षणिक स्तर, अनियमित रूप से विद्यालय आने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। इस संदर्भ में 'प्रयास' कार्यक्रम एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वहस्ताक्षरित उपस्थिति बनाना ऐसी प्रक्रिया है, जो बच्चों को नियमित विद्यालय आने को प्रेरित करती है।

अतः उपरोक्त कार्यों एवं उसकी महत्ता को देखते हुए बाल-संसद में उपस्थित मंत्री का पद सृजित किया गया। आइए देखें, विद्यालय में कौन-कौन सी गतिविधियाँ होंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उपस्थित मंत्री सक्रिय हैं। इन गतिविधियों में विद्यालय और बाल-संसद की क्या भूमिका होगी।

प्रधानमंत्री

बैठक आयोजित करने के लिए सभी मंत्रियों को पूर्व में सूचित करेंगे। बैठक के लिए एजेंडा कार्यावली तय करेंगे और कार्य योजना के अनुसार हो रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा सुबह की सभा सुचारु रूप से हो इसके लिए संबंधित मंत्री के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

'प्रयास' कार्यक्रम के तहत उपस्थिति विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सभी बच्चों की भागीदारी हो इसके लिए उपस्थित मंत्री की मदद करेंगे। मंत्रिमंडल

की लगातार बैठक कर समस्याओं की जानकारी लेना, शिकायत को देखना एवं समाधान हेतु कार्य करने का सुझाव देंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय

सभी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और नियमित रूप से योग, व्यायाम एवं खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा समय-समय पर प्राथमिक उपचार किट का निरीक्षण करेंगे, जिससे कि सामग्री घटे नहीं। स्वच्छता के नियमों को व्यवहार में लाने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही सभी बच्चों के लिए आई.एफ.ए. एवं एल्बेन्डाजोल की गोलियाँ और किशोर बालिकाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएँगे।

सुरक्षा एवं न्याय मंत्रालय

विद्यालय के सभी कार्यों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और मौखिक शारीरिक एवं यौनिक हिंसा की पहचान करके सांसदों के संज्ञान में लाएँगे। शिक्षक एवं बच्चों के द्वारा होने वाली हिंसा की पहचान कर सांसदों के संज्ञान में लाएँगे।

पोषण मंत्रालय

बाल संसद विद्यार्थियों को भोजन संबंधी निर्देशों का पालन करने हेतु दीवाल लेखन को पढ़ने एवं पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा आयोडीन युक्त नमक के महत्व के बारे में बताएँगे।

उपस्थिति मंत्रालय

विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति अति आवश्यक है, क्योंकि सामान्यत: जो बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं उन बच्चों का शैक्षणिक स्तर अनियमित रूप से विद्यालय आने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। इस संदर्भ में 'प्रयास' कार्यक्रम एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वहस्ताक्षरित उपस्थिति बनाना ऐसी प्रक्रिया है, जो बच्चों को नियमित विद्यालय आने को प्रेरित करती है।

उपस्थिति मंत्री, अनुपस्थित बच्चों के घर जाकर संपर्क करेंगे एवं उन्हें विद्यालय लाएँगे और माह में शत-प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को हरा फीता (रिबन) लगाकर प्रोत्साहित करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय

बाल संसद और शिक्षक लगातार योजना बनाकर स्थानीय सामग्री की सहायता से आकर्षक पठन-पाठन सामग्री बनाएँगे और विद्यालय की सूचना, नक्शे, अधिगम सामग्रियों से सुसज्जित करेंगे। विद्यालय के पूरे भाग को सीखने के बिंदुओं से समृद्ध करेंगे। साथ ही प्रत्येक बच्चों के अधिगम के लिए ध्यान देंगे। बाल संसद बच्चों के बीच अपने अनुभवों को बाँटने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।

कौशल विकास मंत्रालय

बाल संसद कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकने के लिए सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना सभा में बच्चों को उचित ढंग से खड़ा करेंगे और वर्ग कक्ष में अनुशासित ढंग से बैठाने के लिए वर्ग मॉनीटर की मदद करेंगे तथा बच्चे शौचालय का उपयोग सही ढंग से करें उसके लिए सहयोग करेंगे। पुस्तकालय को प्रतिदिन खोलना एवं बच्चों में पुस्तकों का लेन-देन करेंगे। समय सारणी के अनुसार पठन-पाठन हो, इसके लिए प्रधानाध्यापक या शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

पर्यावरण मंत्रालय

बाल संसद शिक्षकों एवं अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधों का पोषण एवं देखभाल करेंगे। प्रत्येक वर्ग सजावट, सब्जियों एवं औषधीय पौधों के बगीचे के रख-रखाव के लिए मार्गदर्शन करेंगे। बाल संसद यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय में साफ पानी उपलब्ध हो एवं इसका प्रभावी उपयोग हो और सब्जियों के अपशिष्ट, बचे-खुचे खाद्यान्न, जल आदि का कचरे के गड्ढे में संग्रहण कर खाद या कृषि खाद बनाने में उपयोग हो सके।

खेलकूद एवं संस्कृति मंत्रालय

बाल संसद का कार्य है निश्चित स्थान पर खेलकूद कराएँगे। सामग्रियों का व्यवस्थित रख-रखाव करेंगे। समय सारणी के अनुरूप ही खेलकूद की व्यवस्था करेंगे और सभी बच्चों को अवसर देंगे। पुरस्कारों की सुसज्जित ढंग से रखना और उनके फोटोग्राफ को भी रखेंगे।

सूचना एवं संपर्क मंत्रालय

समाचार के चयन एवं पठन में सहयोग प्रदान करेंगे। विभिन्न विभागों के मंत्री अपने विभागों से संबंधित बाल अधिकारों की खबरों की चयन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री को अवगत कराएँगे। सभी बच्चे प्रतियोगिता में भाग लें इसका प्रयास करना और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तथा जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर कार्यक्रम के संचालन में शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।

स्वच्छता मंत्रालय

सारी व्यवस्था करना, जिसमें सभी वर्ग के बच्चे हों और लगातार प्रतिदिन साफ-सफाई कराना, स्वयं के खाने के बर्तन को धोना एवं पेयजल की व्यवस्था करेंगे। प्रार्थना सभा में पोशाक की सफाई, नाखून, बाल आदि का अनुसरण करेंगे। कूड़ादान में कूड़ा डालें, इसकी आदत विकसित करेंगे। भोजन से पहले एवं शौच के बाद सभी बच्चे साबुन से हाथ धोएँ, इसकी आदत डालेंगे।

विद्यालय में क्रियाकलापों की प्रासंगिकता एवं शैक्षिक निहितार्थ

बाल संसद क्रियाकलाप विद्यालयों में बच्चों को राजनीतिक जागरूकता और नागरिकता की ओर मोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को समाज में अधिक सक्रिय भागीदार बनाना है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक रूप से काम कर सकें। बाल संसद क्रियाकलाप विद्यार्थियों में नेतृत्व, साहस, और सहभागिता की भावना विकसित करती हैं।

इसके माध्यम से बच्चे राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने और उसमें भाग लेने की क्षमता विकसित करते हैं। इससे सामाजिक जागरूकता और सहमति में वृद्धि होती है, जो एक सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाती है। बाल संसद क्रियाकलाप विद्यालयों में शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका को समझाने का एक सुझावपूर्ण तरीका है।

शैक्षिक निहितार्थ

- बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है।
- बच्चों में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है।

- बच्चों में योजना का निर्माण करने की क्षमता का विकास होता है।
- बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।
- बच्चों में रचनात्मक सोच का विकास होता है।

निष्कर्ष

बाल संसद और विद्यालयों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त मार्गदर्शिका का होना आवश्यक है। पहली बात, शिक्षकों को बच्चों के साथ सहयोगपूर्ण और सक्रिय संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही, विद्यार्थियों को समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए समर्पित पाठ्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को नेतृत्व कौशल में सुधार करने के लिए मंचन और प्रतिस्पर्धा का मौका देना चाहिए। संवैधानिक रूप से चुने गए विद्यार्थी-प्रमुख और उनकी संसद को स्कूल के निर्णय-निर्माण में शामिल करना चाहिए। इसमें अभिभावकों और समाज के साथ मिलकर काम करने की भावना भी शामिल होनी चाहिए। इससे केवल विद्यार्थियों का विकास ही नहीं होगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन भी होगा।

यह देखा गया है कि जिन-जिन विद्यालयों में बाल संसद का गठन किया गया है और बाल संसद सक्रिय रहे हैं, उन विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण प्रगति में निरंतरता आई है।

संदर्भ

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद. 2019–2020. *शिक्षण संग्रह— शिक्षक हस्तपुस्तिका*. पीताम्बरा बुक्स प्रा.लि., झांसी, उत्तर प्रदेश.